Government of Jharkhand
Urban Development Department
Latehar Nagar Panchayat , Latehar
झारखण्ड सरकार
e- Procurement Notice (Short Tenders Notice)

NIT No. - UDD/LNP/05/2019-20 (2nd Call)

Notice No. - 1707

Date – 10.10.19

S.L. No.	Tender ID	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Tender Fee	Completion of Work
नागरीक सुविधा मद						
1	02/LNP/05/2019-20	वार्ड संख्या 02 जुबली चौक मोड में स्लैब सहित आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य।	154700	3100	1000	02 Months
2	04/LNP/05/2019-20	वार्ड संख्या 05 डुरूआ में नेक मोहम्मद के घर से जमीर चौक तक स्लैब सहित आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	933000	18700	5000	02 Months
3	08/LNP/05/2019-20	वार्ड संख्या 07 लातेहार में जगनारायण शौंडिक के घर से सतीश कुमार के घर तक स्लैब सहित आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	648700	13000	5000	02 Months
4	09/LNP/05/2019-20	वार्ड संख्या 08 लातेहार मुख्य पथ से मंत्री जी के घर होते हुये सुरेश अग्रवाल के घर तक स्लैब सहित आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	1449400	29000	5000	02 Months
5	10/LNP/05/2019-20	वार्ड संख्या 08 लातेहार संजय प्रसाद के घर से महेन्द्र प्रसाद के घर होते हुये नरेश प्रसाद के घर तक स्लैब सहित आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	508000	10200	5000	02 Months
6	15/LNP/05/2019-20	वार्ड संख्या 12 अम्वाटीकर में नरेश राग के घर से नान्हु राम के घर तक स्लैब सहित आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	751800	15100	5000	02 Months

7	Date of Publication of Tender on website	18.10.2019 at 10:00 am
8	Mode of Submission of bids	E-Tendering https//:jharkhandtenders.gov.in
9	Date start of submission of bids	19.10.2019 at 10:00 am
10	Last Date/Time of submission of bids	24.10.2019 upto 03:00 pm
11	Date of Technical & Financial Bid opening (online)	25.10.2019 upto 11:00 am
12	Last Date/Time of submission at office Cost Of BOQ, Earnest Money and Tender Document	24.10.2019 upto 05:00 pm
13	Name & Address of office inviting tender	Executive officer Nagar Panchayat, Latehar
14	Contact No. of Procurement officer	8340418585/ 9631252635
15	Helpline number of e-Procurement cell	8340418585/ 9631252635

NOTE : Only e-Tenders will be accepted.

Further details can be seen on website http:/jharkhandtenders.gov.in

नियम एवं शर्त

1. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार रांची एवं नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही ई–निविदा में भाग लेगें। साथ ही केवल ई–निविदा ही मान्य होगा।
2. परिमाण विपत्र की राशि का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के नाम से देय हो को ई–निविदा समर्पित करने के उपरांत निर्धारित समयावधि के अंदर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि लौटायी नहीं जायेगी। साथ ही संबंधित निविदा में डाले गये कागजात की एक प्रति ई–निविदा समर्पित करने के उपरांत निर्धारित समयावधि के अंदर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

3. निविदादाता को निविदा के साथ समुचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण पत्र, अध्यतन आयकर प्रमाण पत्र (आयकर एकनॉलेजमेन्ट एवं पैन कार्ड), अध्यतन GST से संबंधित रजिस्ट्रेशन ,3V Return का प्रमाण पत्र वर्त्तमान में सरकार द्वारा जो लागु हो जमा करना अनिवार्य होगा, अध्यतन आचरण प्रमाण पत्र एवं विगत 03 वर्षों का भुगतान प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणीत छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विभिन्न नगर निकायों में किये गये कार्य के भुगतान प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. निविदादाता को निविदा के साथ **Concrete Mixture, Needle Vibrator, Surface Vibrator, Bar Bending M/C, Bar Cutting M/C** मशीनों के स्वामित्व का अभिश्रव या शपथ पत्र के साथ संबंधित मशीनों के सही संचालन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित निविदादाता को कार्य आवंटित होने के उपरांत संबंधित कार्य का लेबर लाईसेंस जमा करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को फर्म के काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। जिसकी मूल प्रति निविदा डालने के उपरांत निर्धारित अवधी में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को 10 लाख से उपर के योजनाओं के लिए संबंधित फर्म में कार्यरत अभियंत्रण स्टॉप का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र **(Undertaking)**निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा के साथ अग्रधन की 2 प्रतिशत राशि का **Demand Draft/Banker Cheque** जमा करना होगा जो **Executive Officer, Nagar Panchayat, Latehar** (कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार) के पदनाम से देय हो।
8. साथ ही किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लातेहार न्यायालय में विचारणीय होगा ।
9. निविदा दिनांक 25.10.2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन् में प्राप्त ई–निविदाओं को खोला जायेगा।
10. कार्य आवंटित होने के 03 दिनों के अन्दर संवेदक को निर्धारित **F2R** में एकरारनामा कर लेना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी। तथा दूसरे संवेदक को कार्य आवंटित कर दी जायगी तथा बाद में किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
11. निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन वर्षों तक मौलिक कार्यो का रख–रखाव संवेदक को अपने खर्च पर करना होगा । निविदा में जमा की गई सुरक्षित राशि एवं अग्रधन की राशि विभागीय नियगानुरार निर्गत की जायेगी।
12. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से रद्द करने या स्थगित करने या एक ही निविदा को एक से अधिक संवेदको के बीच बॉट कर कार्य आवंटित करने का अधिकार नगर पंचायत, लातेहार के निविदा समिति को सुरक्षित रहेगा। जिन्हे कही भी चुनौती नहीं दी जायेगी।
13. कार्य प्रारम्भ करते ही संवेदक को कार्य से संबंधित सूचनाओं का सूचना पट्ट का अधिष्ठापन संबंधित स्थल पर करना होगा, जो अनिवार्य होगा।
14. सिमेन्ट की गुणवता में गड़बडी पाये जाने पर संवेदक के विरूद्व कड़ी कारवाई की जायेगी।
15. कार्य आवंटन के पश्चात निर्धारित अवधि तक ही कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा, तदोपंरान्त कार्य से संबंधित राशि का भुगतान की जायेगी।
16. निविदा दर की न्यूनतम सीमा 10 प्रतिशत तक ही मान्य होगी।
17. संबंधित योजना मद में आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा । विलम्ब के लिए अलग से कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, यदि मान्य हो तो ही संवेदक निविदा डालें।
18. संवेदक त्रुटीपूर्ण समाग्रियों की आपूर्ति एवं उपयोग तथा निर्माण कार्य की गुणवता के लिये पूर्णतया दोषी माने जायेगें।
19. निविदा देने के पूर्व संवेदक स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दें। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा बाद में मान्य नहीं होगा।
20. बिना अग्रधन या वांछीत राशि से कम राशि के अग्रधन के साथ प्राप्त होने वाली निविदा अमान्य समझा जायेगा।
21. संवेदको का चयन नगर पंचायत, लातेहार हेतु गठित निविदा निष्पादन समिति के समक्ष किया जायेगा एवं सफल निविदादाता के साथ **F2R** में एकरारनामा किया जायेगा।
22. समय–समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग रॉची द्वारा निर्गत आदेश/निदेश का पालन करना अनिवार्य होगा, कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार एवं उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत आदेश का पालन संबंधित संवेदक को करना होगा।
23. निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्रियों एवं क्यूब की जॉच प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार प्रयोगशाला में कराई जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय का वहन संवेदक को स्वयं करना होगा ।

24. विज्ञापनदाता द्वारा विभागीय रूप से योजना में लगने वाली कोई भी सामग्री नहीं दी जायेगी साथ ही कार्य के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा।
25. कार्य आवंटन के पश्चात एकरारनामा के पूर्व प्राक्कलीत राशि का तीन प्रतिशत प्रारंभिक जमानत राशि का **Demand Draft/Banker Cheque** जमा करना होगा जो **Executive Officer, Nagar Panchayat, Latehar** (कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार) के पदनाम से देय हो।
26. संवेदक द्वारा सड़क निर्माण योजना एवं नाली निर्माण योजना एवं अन्य योजना में प्रत्येक चरण (यथा–स्थल की वर्तमान स्थिति ,खुदाई, बालू भराई, ईंट सोलिंग, पी0 सी0 सी0, आर0सी0सी0, स्लैब एवं भवन निर्माण के क्रम में स्थल की वर्तमान स्थिति ,प्लीन्थ लेबल, डोर लेबल एवं छत लेबल निर्माण) के कार्य के सभी स्तरों का फोटोग्राफ उपलब्ध कराना अतिआवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रोक लगाया जा सकता है।
27. संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित स्थल का **ZERO Lebal Photograph** उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
28. Rainforcement का इस्तेमाल के लिये ISO-9001 प्रमाणक होना अनिवार्य होगा।
29. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्य दिवस में नगर पंचायत, लातेहार एवं **http:/jharkhandtenders.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।
10/10/19

ज्ञापांक 1707 दिनांक.10.10.19

प्रतिलिपि :– डी.आई.ओ. एन.आई.सी., लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा को एन. आई.सी. के वेबसाईड पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी पार्षद नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:– सरकार के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार रॉची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।
10/10/19